

पत्र संख्या-11/आ०नी०-1-03/2019 सा.प्र. 6/168.

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी,
पटना।

पटना-15, दिनांक-31.03.2023

विषय :- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पतियों के प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन एवं प्रमाण-पत्र के प्रारूप में संशोधन के संबंध में।

महोदय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस विभाग के पत्र संख्या-4824 दिनांक-10.03.2023 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पतियों प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक-19.09.2022 के Frequently Asked Question (FAQ) एवं उसके संदर्भ में निर्गत स्पष्टीकरण को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सर्वसाधारण की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गई है।

उपर्युक्त के क्रम में तदनु रूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र के लाभार्थ स्वयं घोषणा-पत्र (संशोधित अनुसूची-II A) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्गत किये जाने वाले आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (अनुसूची-I A) एतद् द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया में एतद् संबंधी संशोधित प्रारूप के अनुरूप संशोधन कर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।


विश्वासभाजन,


(रजनीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०नी०-1-03/2019 सा.प्र. 6/68 पटना-15, दिनांक-31.03.2023

प्रतिलिपि-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना/निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5/11/2023
सरकार के उप सचिव।

अनुसूची-I A
(प्रपत्र-1)

बिहार सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक -.....

(निर्गत की तिथि से अगले 01 वर्ष के लिए मान्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पतिगाँव/शहर
पोस्ट ऑफिस थाना अनुमंडल जिला
राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख
(आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारीजाति के सदस्य हैं, जो-

(क) बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(ख) बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा बिहार हेतु ओ0बी0सी0 (अन्य पिछड़ा वर्ग) की सूची के तहत सूचीबद्ध नहीं हैं।

नोट:- (क) एवं (ख) में से जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

आवेदक का
पासपोर्ट
साईज का
अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

अनुसूची-II A

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पति.....
गाँव/शहर..... पोस्ट ऑफिस..... थाना..... प्रखण्ड.....
अनुमण्डल..... जिला..... राज्य..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो-

(क) बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(ख) बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध हैं, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा बिहार हेतु ओ0बी0सी0 (अन्य पिछड़ा वर्ग) की सूची के तहत सूचीबद्ध नहीं हैं।

नोट:- (क) एवं (ख) में से जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु
..... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।

ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।

iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :-

आवदेक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।

दिनांक :-